न्यायालय उपखण्ड अधिकारी शाहपुरा जिला–जयपुर राजस्थान

पीठासीन अधिकारी :– श्री संजीव कुमार खेदर, आर.ए.एस.

वाद संख्या :– 197/2015

उनवान मुकदमा

1. प्रभात वयस्क पुत्र बिडदीचन्द जाति अहीर (यादव), निवासी नाथावाला, हाल साईवाड, तह0 शाहपुरा जिला जयपुर।

– वादी

बनाम

1. सुवालाल पुत्र बिडदीचन्द
2. रामचन्द पुत्र सुवालाल
3. कैलाश पुत्र सुवालाल
4. राजू पुत्र सुवालाल
   समस्त जाति यादव निवासी नाथावाला, हाल साईवाड, तह0 शाहपुरा, जिला जयपुर, राजस्थान।
5. भारतीय स्टेट बैंक शाहपुरा, जरिये प्रबन्धक भारतीय स्टेट बैंक शाखा शाहपुरा, जिला जयपुर राजस्थान।
6. ओरियन्टल बैंक ऑफ कामर्स शाखा शाहपुरा जरिये प्रबन्धक ओरियन्टल बैंक ऑफ कामर्स शाखा शाहपुरा, जिला जयपुर राजस्थान।
7. उपपंजीयक तहसील शाहपुरा, जिला जयपुर, राजस्थान।
8. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार तहसील शाहपुरा जिला जयपुर, राजस्थान।

– प्रतिवादीगण

दावा बाबत् बंटवारा आराजी एवं लगान व स्थायी निषेधाज्ञा अन्तर्गत धारा 53, 188 राज0टी0एक्ट

निर्णय दिनांक :– 29/12/25

वाद संक्षेप में इस प्रकार है कि हाल आराजी खसरा नंबर 1269/1314 रकबा 0.2000, 1270 रकबा 1.7700 है0, 1271 रकबा 0.1100 है0, 1272 रकबा 0.0200 है0, 1273 रकबा 0.7300 है0, 1274 रकबा 0.7900 है0, 1275 रकबा 0.6000 है0, 1278 रकबा 0.4800 है0 कुल किता 8 कुल रकबा 4.7000 है0 वाकै ग्राम साईवाड तहसील शाहपुरा जिला जयपुर स्थित है। उक्त आराजीयात के हिस्से 1/2 भाग का खातेदार काश्तकार वादी तथा शेष हिस्से 1/2 भाग का खातेदार काश्तकार प्रतिवादी संख्या 1 है, वादी ने अपने हिस्से 1/2 भाग की भूमि प्रतिवादी संख्या 5 के यहां तथा प्रतिवादी संख्या 1 ने अपने हिस्से 1/2 भाग की भूमि अलावा हाल खसरा नंबर 1274 रकबा 0.7900 है0 वाकै ग्राम साईवाड को प्रतिवादी संख्या 6 के रहन रख रखी है। वादी एवं

उपखण्ड अधिकारी
शाहपुरा, जयपुर (राज.)

प्रतिवादी संख्या 1 के मध्य विधिक रूप से मीट्स एण्ड बाउण्डस से बंटवारा नहीं हुआ है अपितु वे मन तसल्ली से आराजी मुतनाजा को संयुक्त रूप से काबिज रहकर काश्त एवं उपयोग तथा उपभोग करते आ रहे है आराजी मुतनाजा में दो बौर सिंचाई हेतु संयुक्त रूप से खर्चा करके बना रखे है जिनमें एक बोर का उपयोग तथा उपभोग वादी करता आ रहा है। वादी व प्रतिवादी संख्या 1 ने हाल आराजी खसरा नंबर 1271 पृथक–पृथक आवास निवास के मकानात बने हुए है तथा आराजी मुतनाजा में स्थित चाह कुए में थ्री फेस कनेक्शन लिया हुआ है। उक्त कुएं में पानी सूख जाने के कारण उक्त चाह के थ्री फेस कनेक्शन से बौर में विद्युत उपयोग कर वादी सिंचाई करता आ रहा है। आराजी मुतनाजा वर्णित खण्ड संख्या 1 वाद पत्र में वादी ने विभिन्न प्रजाती के पेड आंवला, नींबू, आम, अरडू, जाट, टीकर करौदा इत्यादि के पेड लगा रखे है, जो लगभग 15–20 वर्ष पुराने है जिनकी उपज का भी लाभ वादी उठाता आ रहा है आराजी मुतनाजा पर स्थित उपरोक्त पेडों मे से लगभग 80 प्रतिशत पेड वादी ने लगाये है एवं परवरिश कुए हुये है शेष 20 प्रतिशत पेड प्रतिवादी संख्या 1 ने लगाये है। प्रतिवादी संख्या 1 ने वादी द्वारा लगाये हुए उपरोक्त पेडों में से कुछ पेडों को काटकर नष्ट कर दिया है तथा वे दुबारा फूटे है। प्रतिवादी संख्या 1 व उसके पुत्रगण प्रतिवादी संख्या 2 लगायत 4 अत्यन्त चतुर चालाक किस्म के व्यक्ति है। प्रतिवादी संख्या 2 लगायत 4 मोटरबाईडिंग का कार्य कस्बा अजीतगढ देवीपुरा रोड पर करते है तथा प्रतिवादी संख्या 3 कुए से मोटर निकालने की लौरिंग जीप रखता है तथा कुओं से मोटर निकालने का कार्य करता है इसी प्रकार प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 4 साधन सम्पन्न व्यक्ति है। प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 4 ने आपसी मिलीभगत से राज में उंची पहुंच के बलबूते पर सही एवं वास्तविक स्थिति तथा तथ्यों को छुपाते हुये प्रतिवादी संचया 3 कैलाश ने अपना बी.पी.एल. में चयन कराकर सरकार/पंचायत से अनुदान प्राप्त कर नाजायज रूप से सहखातेदारी की भूमि में एक कमरे का निर्माण कुछ समय पूर्व करा लिया है। वादी आराजी मुतनाजा वर्णित संख्या 1 के 1/2 भाग पश्चिम हिस्से को शुरू से ही काश्त तथा उपयोग एवं उपभोग करता चला आ रहा है। आराजी मुतनाजा में लगे पेड पौधो के अलावा शेष भूमि खाली होने से काश्त के उपयोग आ रही है। प्रतिवादी संख्या 1 लगयात 4 ने वादी के विरूद्ध एक जबरदस्त नाजायज संगठन बनाकर रखा है तथा वे आराजी मुतनाजा के बतरफ दक्षिण में स्थित रोड चिमनपुरा मोड से साईवाड मोड होता हुआ अजीतगढ के नजदीक भूमि जो कीमती है उस विशिष्ट भू–भाग पर जबरन मनमाने तरीके से काबिज होना चाहते है तथा वादी को आराजी मुतनाजा के हिस्से 1/2 भाग पश्चिम साड पर काबिज रहकर काश्त नहीं करने देना चाहते है एवं वादी को लाठी तथा ताकत के बलबूते पर जबरन बेदखल करने को आमादा हो रहे है इस कारण अब शामिल में काश्त करना संभव नहीं होने के

उपखण्ड अधिकारी
शाहपुरा, जयपुर (राज.)

कारण वाद बाबत् बंटवारा आराजी एवं लगान दायर करना आवश्यक हुआ है। वादी ने प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 4 को उनकी नाजायज कार्यवाही की बाबत उलाहना दिया तो उक्त प्रतिवादीगण शक्त नाराज हो गये तथा उन्होने वादी को अर्सा 2 रोज पूर्व एलानियां धमकी दी कि हम आराजी मुतनाजा के विशिष्ट भू भाग जो रोड के नजदीक दक्षिणी हिस्से पर जबरन कब्जा काश्त करेंगे तथा वादी को आराजी मुतनाजा के पश्चिमी हिस्से 1/2 भाग से जबरन बेदखल करेंगे तथा आराजी मुतनाजा को अन्य को बेचान कर कब्जा कराने की धमकी दी है जिसके फलस्वरूप वाद स्थायी निषेधाज्ञा दायर करना आवश्यक हुआ है।

अन्त में निवेदन किया कि हाल आराजी खसरा नंबर 1269/1314 रकबा 0.2000, 1270 रकबा 1.7700 है0, 1271 रकबा 0.1100 है0, 1272 रकबा 0.0200 है0, 1273 रकबा 0.7300 है0, 1274 रकबा 0.7900 है0, 1275 रकबा 0.6000 है0, 1278 रकबा 0.4800 है0 कुल किता 8 कुल रकबा 4.7000 है0 वाकै ग्राम साईवाड तहसील शाहपुरा, जिला जयपुर की भूमि का मीट्स एण्ड बाउण्डस से बंटवारा कराया जाकर आराजी मुतनाजा के हिस्से 1/2 भाग की पश्चिमी हिस्से की भूमि वादी को दिलायी जावे तथा शेष 1/2 भाग की भूमि प्रतिवादी संख्या 1 को दिलाई जावे अन्यथा में वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 मध्य 1/2 – 1/2 हिस्से का अच्छी में अच्छी व बुरी में बुरी भूमि का बंटवारा कराया जाकर तदानुसार लगान का बंटवारा कराया जाकर उपयोग आशय का राजस्व रिकॉर्ड में अंकन कराया जावे एवं प्रतिवादीगण को स्थायी निषेधाज्ञा से पाबंद किया जावे की बाद बंटवारा के हिस्से में आयी भूमि पर कोई मजाहमत पैदा नहीं करें, जबरन बेदखल नहीं करें बल्कि शांतिपूर्वक काश्त करने देवें।

वाद पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को विधिवत नोटिस जारी किये गये। प्रकरण में प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 4 की ओर अधिवक्ता खेमचन्द यादव ने वकालतनामा पेश किया एवं प्रतिवादी संख्या 6 की ओर से अधिवक्ता रमेश यादव ने अण्डरटेकिंग दी। वकील प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 4 ने जवाब दावा पेश किया एवं अधिवक्ता श्री रविशंकर अग्रवाल ने प्रार्थना–पत्र आदेश 1 नियम 10 सीपीसी पेश किया। उक्त प्रार्थना–पत्र का वकील वादी ने जवाब पेश किया। अधिवक्ता रविशंकर अग्रवाल ने प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 10, 151 सीपीसी पेश किया। अधिवक्ता दीपक शर्मा ने प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 4 की ओर वकालतनामा पेश कर प्रार्थना–पत्र आदेश 6 नियम 17 सीपीसी पेश किया। वकील वादी ने प्रार्थना–पत्र आदेश 1 नियम 10 (2) सीपीसी पेश किया। वकील वादी ने प्रार्थना–पत्र आदेश 6 नियम 17 सीपीसी का जवाब पेश किया। वकील उभयपक्ष की प्रार्थना–पत्र आदेश 1 नियम 10 सीपीसी व आदेश 6 नियम 17 सीपीसी पर बहस सुनी गई। बहस पर मनन किया गया। पत्रावली

उपखण्ड अधिकारी
शाहपुरा, जयपुर (राज.)

का अवलोकन किया गया। अवलोकन उपरांत प्रार्थना–पत्र आदेश 1 नियम 10 सीपीसी व आदेश 6 नियम 17 सीपीसी खारिज किया गया। निर्णय पृथक से लिखाया गया जो शामिल पत्रावली है एवं दावा दिनांक 06.10.2017 को प्राथमिक डिक्री किया जाकर तहसीलदार शाहपुरा को कुर्रेजात रिपोर्ट भिजवाने बाबत आदेशित किया गया। प्रकरण में तहसीलदार शाहपुरा के द्वारा कुर्रेजात रिपोर्ट प्रस्तुत की गई। प्रस्तुत प्रकरण की अपील माननीय न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, जयपुर के यहां होने से एवं पत्रावली माननीय न्यायालय द्वारा तलब करने से मूल पत्रावली राजस्व अपील प्राधिकारी, जयपुर महोदय के यहां भिजवाई गई। तदानुउपरांत माननीय न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी , जयपुर के निर्णय दिनांक 06.08.2018 के विरूद्ध वादी द्वारा माननीय न्यायालय राजस्व मण्डल राजस्थान, अजमेर के यहां अपील दायर की गई। उक्त अपील के संबंध में माननीय न्यायालय राजस्व मण्डल, अजमेर के द्वारा अपने निर्णय में यह आदेश दिया कि " उभयपक्षों के मध्य राजीनामा हो जाने के कथन एवं आदेश 23 नियम 1, 2 व 3 व्यवहार प्रक्रिया संहिता के प्रावधानों के मद्देनजर रखते हुए हम अपील के गुणावगुणों पर किसी प्रकार का विवेचन किये बिना, अधीनस्थ न्यायालयों द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री को निरस्त किया जाकर, मूल प्रकरण विचारण न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, शाहपुरा को राजीनामें की वैधानिकता की जांच कर विधि सम्मत निर्णय पारित करने हेतु प्रतिप्रेषित किया जाना न्यायोचित समझते है। उपखण्ड अधिकारी, शाहपुरा को प्रतिप्रेषित कर निर्देशित किया जाता है कि वे पक्षकारों द्वारा प्रस्तुत राजीनामें दिनांक 13.09.2021 की वैधानिकता की जांच कर विधिसम्मत निर्णय एवं डिक्री का आदेश पारित करें।"

मूल पत्रावली माननीय न्यायालय राजस्व मण्डल अजमेंर से प्राप्त होने पर वकील उभयपक्ष को सूचित किया गया। प्रकरण में वकील वादी उपस्थित आये एवं वकील प्रतिवादी उपस्थित नहीं आयें। वकील वादी ने आदेशिका पर हस्ताक्षर कर अपनी बहस में वाद पत्र में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए अपने वाद–पत्र की ताईद की एवं कथन किया कि माननीय न्यायालय राजस्व मण्डल अजमेर में उभयपक्षों द्वारा प्रस्तुत राजीनामें के अनुसार वाद का निस्तारण किया जावे अर्थात उभयपक्ष ने राजीनामें में माननीय न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, जयपुर द्वारा पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 06.08.2018 को निरस्त कर न्यायालय सहायक कलक्टर शाहपुरा द्वारा पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 30.12.1999 तथा उपखण्ड अधिकारी शाहपुरा द्वारा पारित निर्णय व प्राथमिक डिक्री दिनांक 06.10.2017 को बहाल किये जाने बाबत् समस्त पक्षकारान् सहमत है। अतः प्रकरण में दिनांक 06.10.2017 को दावा प्राथमिक डिक्री

उपखण्ड अधिकारी
शाहपुरा, जयपुर (राज.)

किया गया है वह बहाल करते हुए एवं प्रकरण प्राप्त कुर्रेजात रिपोर्ट अनुसार दावा अंतिम डिक्री किया जावे।

वकील वादी को सुना गया। बहस पर मनन किया गया। पत्रावली व राजीनामें का अवलोकन किया गया। अवलोकन उपरांत जाहिर होता है कि उभयपक्षों द्वारा राजीनामा इस आशय का पेश किया है कि " उपरोक्त प्रकरण में विवादित आराजीयात को लेकर हम पक्षकारान के मध्य राजीनामा हो चुका है एवं उक्त राजीनामें के आधार पर हम पक्षकारान इस प्रकरण का निस्तारण कराने हेतु सहमत है। बिरदीचन्द के उक्त 9 पुत्र व 2 पुत्रियां थी। जिनमें पारिवारिक बटवारे अनुसार विभिन्न ढाणियों में स्थित आराजियों में बंटवारा स्वयं बिरदीचन्द द्वारा अपने जीवनकाल में कर दिया था। जिसके अनुसार ढाणी भाठा वाली तन नाथावाला में स्थित आराजी किशनलाल, महादेव, तुलाराम, बंशीधर को प्राप्त हुयी थी। ढाणी खुमारा वाली तन नाथावाला में स्थित आराजी फुलचन्द व मुरलीधर को प्राप्त हुयी थी। इसी प्रकार ढाणी नई कोठी तन साईवाड में स्थित आराजी प्रभात व सुवालाल को प्राप्त हुयी थी। श्योसहाय बिरदीचन्द के भाई जोधा के गोद चला गया था। जिस पर समस्त अपने–अपने परिवार सहित उक्त बंटवारा अनुसार काश्त इत्यादि कर रहे है। यह कि ढाणी नई कोठी तन साईवाड तहसील शाहपुरा जिला जयपुर में स्थित आराजी खसरा सख्या 1270 रकबा 177 है0, 1271 रकबा 011 है0, 1272 रकबा 0.02 है0, 1273 रकबा 0.73 है0, 1275 रकबा 0.60 है0, 1278 रकबा 0.48 है0, 1269/1314 रकबा 0.20 है० किता 7 कुल रकबा 3.91 है० राजस्व रिकॉर्ड में सुवालाल व किशनलाल का नाम दर्ज था। जिसे दुरूस्त करवाने हेतु प्रभात ने किशनलाल के उक्त में निहित 1/2 हिस्से के विरूद्ध इस्तकरार हक व दुरूस्ती इन्द्राज का एक वाद न्यायालय सहायक कलक्टर शाहपुरा के समक्ष दिनाक 16.12.1999 को प्रस्तुत किया था। जिसमें किशनलाल ने इकबाली जवाबदावा प्रस्तुत कर दावे को स्वीकार करने की सहमति दी थी। जिस पर विचारण न्यायालय ने प्रभात को किशनलाल के निहित 1/2 हिस्से का खातेदार घोषित कर किशनलाल का नाम हजफ करने का निर्णय व डिक्री दिनांक 30.12.1999 को जारी कर दी। यह कि विचारण न्यायालय द्वारा पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 30.12.1999 के पश्चात बंटवारे की पालना में अपीलांट व सुवालाल के साथ बिरदीचंद की दोनों पुत्रियों ने एक रजिस्टर्ड हक–त्याग पत्र दिनाक 09.01.2012 को बहक किशनलाल व बिरदीचद के अन्य पुत्रों में निष्पादित करवा दिया था। इस रजिस्टर्ड हक–त्याग पत्र में किशनलाल के पुत्र देवीसहाय ने बतौर साक्षी अपने हस्ताक्षर किये थे। तत्पश्चात सभी पक्षकार अपने–अपने हिस्सें पर काबिज होकर काश्त कर रहे है। यह कि ढाणी नई कोठी तन साईवाड तहसील शाहपुरा जिला जयपुर में स्थित आराजी

उपखण्ड अधिकारी
शाहपुरा, जयपुर (राज.)

खसरा संख्या 1270 रकबा 177 है0, 1271 रकबा 0.11 है0, 1272 रकबा 0.02 है0, 1273 रकबा 0.73 है0, 1274 रकबा 0.79 है0, 1275 रकबा 0.60 है0, 1278 रकबा 0.48 है0, 1269/1314 रकबा 0.20 है० किता 8 कुल रकबा 470 है० राजस्व रिकॉर्ड में प्रभात व सुवालाल का नाम दर्ज था। जिसके बंटवाडे बाबत प्रभात ने सुवालाल के विरुद्ध बटवाडे एवं स्थायी निषेधाज्ञा बाबत वाद न्यायालय उपखण्ड अधिकारी शाहपुरा जिला जयपुर के समक्ष दिनाक 08.12.2015 को पेश किया था। जिसमें अप्रार्थीगण 1 ता 5 ने प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत आदेश 1 नियम 10 जा0दी0 प्रस्तुत कर पक्षकार संयोजित किये जाने को निवेदन किया था। साथ ही अप्रार्थीगण 6 ता 9 ने प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत आदेश 6 नियम 17 जा० दी० प्रस्तूत किया था। विचारण न्यायालय ने उक्त दोनों प्रार्थना पत्र अस्वीकार कर दिये थे। तत्पश्चात् अपने निर्णय दिनाक 06.10.2017 से बटवाडे का वाद स्वीकार कर प्राथमिक डिक्री जारी कर दी थी। यह कि उक्त बटवाडे का वाद प्रस्तूत होने के बाद तथा किशनलाल के फौत होने के पश्चात किशनलाल के वारिसों ने 2016 में पूर्व निर्णय व डिक्री दिनाक 30.12.1999 के विरूद्ध लगभग 17 वर्ष पश्चात् एक अपील न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी जयपुर के समक्ष प्रस्तुत की। जो कि सरसरी तौर पर ही निर्णय दिनाक 06.08.2018 द्वारा स्वीकार करते हुये विचारण न्यायालय के निर्णय व डिक्री को निरस्त कर दिया।. यह कि विचारण न्यायालय द्वारा पारित निर्णय व प्राथमिक डिक्री दिनांक 06.10.2017 से क्षुब्ध होकर रेस्पोंडेंटस 1 ता 4 ने तथा किशनलाल के वारिसों ने दो पृथक पृथक अपीलें न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी जयपुर के समक्ष प्रस्तुत की। जो कि सरसरी तौर पर ही पूर्व निर्णय व डिक्री दिनांक 30.12.1999 को अन्य अपील में निरस्त कर दिये जाने के मात्र आधार पर अपीलीय न्यायालय ने अपने निर्णय दिनांक 06.08.2018 द्वारा स्वीकार करते हुये विचारण न्यायालय के निर्णय व डिक्री को निरस्त कर दिया। अतः उक्त दोनों अपीलो में पारित आक्षेपित निर्णय व डिक्री दिनांक 06.08.2018 से क्षुब्ध होकर अपीलांट ने यह दो द्वितीय अपील माननीय मण्डल में प्रस्तुत की है।. यह कि कोविड–19 के दौरान केसरी देवी के फौत होने एवं आपसी रिश्तेदारों के समझाने पर विवादीत आराजीयात को लेकर हम पक्षकारान के मध्य राजीनामा हो चुका है एवं उक्त राजीनामें के आधार पर हम पक्षकारान विचारण न्यायालय द्वारा पारित पूर्व निर्णय व डिक्री 30.12.1999 एवं तत्पश्चात् पारित निर्णय व प्राथमिक डिक्री दिनाक 06. 10.2017 से सहमत है। जिस हेतु इस अपील को स्वीकार कर अपीलीय न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 06.08.2018 को निरस्त कर पूर्व निर्णय व डिक्री दिनांक 30.12.1999 तथा तत्पश्चात् पारित निर्णय व प्राथमिक डिक्री दिनांक 06.10.2017 को बहाल रखा जाये तो हम समस्त पक्षकारान् को कोई आपत्ति नहीं है। यह राजीनामा समस्त पक्षकारान द्वारा पुर्ण होशो–हवास, राजी–खुशी से बिना किसी नशे पते एव बेजा दबाव

उपखण्ड अधिकारी
शाहपुरा, जयपुर (राज.)

के सोच समझ कर पढ, सुन कर स्वेच्छा एव स्थिर चित्त कि हालत में तहरीर एव तकमील कर दिया है। उक्त राजीनामा बाबत् किसी भी पक्षकार एवं उनके वारिसान को कोई आपत्ति भविष्य में नही रहेगी।

अतः उक्त राजीनामानुसार इस अपील को स्वीकार कर अपीलीय न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी जयपुर द्वारा पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 06.08.2018 को निरस्त कर न्यायालय सहायक कलक्टर शाहपुरा द्वारा पारित निर्णय व डिक्री 30.12.1999 तथा उपखण्ड अधिकारी शाहपुरा द्वारा पारित निर्णय व प्राथमिक डिक्री दिनांक 06.10.2017 को बहाल किये जाने बाबत् समस्त पक्षकारान सहमत है एवं भविष्य में उक्त राजीनामें से समस्त पक्षकारान स्वय एवं उनके वारिसान को किसी प्रकार का कोई उज्र नही होगा। ''

उक्त राजीनामें के अवलोकन से स्पष्ट है कि उभयपक्ष ने माननीय न्यायालय राजस्व मण्डल अजमेर में राजीनामा पेश कर राजीनामा अनुसार दावे के निस्तारण हेतु अनुतोष चाहा है एवं माननीय न्यायालय राजस्व मण्डल अजमेर ने भी यह निर्देशित किया है कि प्रकरण में उभयपक्ष द्वारा प्रस्तुत राजीनामा की वैधानिक जांच करते हुए प्रकरण का राजीनामा अनुसार उचित निस्तारण की कार्यवाही करें। उभयपक्ष ने राजीनामें में अंकित किया है कि माननीय न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, जयपुर द्वारा पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 06.08.2018 को निरस्त कर न्यायालय सहायक कलक्टर शाहपुरा द्वारा पारित निर्णय व डिक्री 30.12.1999 तथा उपखण्ड अधिकारी शाहपुरा द्वारा पारित निर्णय व प्राथमिक डिक्री दिनांक 06.10.2017 को बहाल किये जाने बाबत् समस्त पक्षकारान् सहमत है एवं भविष्य में उक्त राजीनामें से समस्त पक्षकारान् स्वयं एवं उनके वारिसान को किसी प्रकार का कोई उज्र नहीं होगा। उपर्युक्त विवेचन के फलस्वरूप यह जाहिर होता है कि प्रकरण में दिनांक 06.10.2017 को दावा प्राथमिक डिक्री किया जाकर तहसीलदार शाहपुरा को कुर्रेजात रिपोर्ट भिजवाने बाबत् निर्देशित किया गया था एवं तहसीलदार शाहपुरा द्वारा प्रकरण में कुर्रेजात रिपोर्ट पेश कर दी गई है एवं न्यायालय आदेश 06.10.2017 को बहाल किये जाने हेतु उभयपक्ष सहमत है एवं कुर्रेजात रिपोर्ट पर उभयपक्ष द्वारा कोई आपत्ति पेश नहीं की गई है। अतः न्यायालय आदेश 06.10.2017 को बहाल करते हुए एवं माननीय न्यायालय राजस्व मण्डल अजमेर के निर्देशानुसार एवं प्रकरण में प्रस्तुत राजीनामे के अनुसार प्रकरण का निस्तारण किया जाना उचित समझते है। अतः दावा मुताबिक कुर्रेजात रिपोर्ट अनुसार अंतिम डिक्री किया जाता है।

उपखण्ड अधिकारी
शाहपुरा, जयपुर (राज.)

आदेश

अतः उपर्युक्त तथ्यों के विवेचनों के फलस्वरूप वादी का वाद मुताबिक कुर्रेजात रिपोर्ट अनुसार अंतिम डिक्री किया जाता है एवं हाल आराजी खसरा नंबर 1269/1314 रकबा 0.2000, 1270 रकबा 1.7700 है0, 1271 रकबा 0.1100 है0, 1272 रकबा 0.0200 है0, 1273 रकबा 0.7300 है0, 1274 रकबा 0.7900 है0, 1275 रकबा 0.6000 है0, 1278 रकबा 0.4800 है0 कुल किता 8 कुल रकबा 4.7000 है0 वाकै ग्राम साईवाड तहसील शाहपुरा, जिला जयपुर की भूमि का पक्षकारान् के मध्य निम्नानुसार बंटवारा किया जाता है :—

1. प्रभात पुत्र बिरदीचन्द राहिन भारतीय स्टेट बैंक शाखा शाहपुरा मूर्तहीन कौम अहीर सा0 देह खातेदार के हिस्से में आराजी खसरा नंबर 1269/1314 रकबा 0.20 है0, 1270 रकबा 0.8553 है0, 1270/1 रकबा 0.0615 है0, 1271/1 रकबा 0.1066 है0, 1272 रकबा 0.0200 है0, 1273 रकबा 0.5447 है0, 1273/2 रकबा 0.0145 है0, 1274 रकबा 0.4635 है0 कुल किता 8 कुल रकबा 2.2661 है0 भूमि रहेगी।
2. सुवालाल पुत्र बिरदीचन्द जाति अहीर सा0 देह खातेदार राहिन ओ0बी0सी0 बैंक शाखा शाहपुरा मूर्तहीन के हिस्से में आराजी खसरा नंबर 1270/2 रकबा 0.0025 है0, 1270/4 रकबा 0.7150 है0, 1271/1 रकबा 0.0034 है0, 1273/1 रकबा 0.0761 है0, 1273/4 रकबा 0.0626 है0, 1274/2 रकबा 0.3265 है0, 1275 रकबा 0.6000 है0, 1275 रकबा 0.6000 है0, 1278 रकबा 0.4800 है0 कुल किता 8 कुल रकबा 2.2661 है0 भूमि रहेगी।
3. प्रभात पुत्र बिरदीचन्द राहिन स्टेट बैंक शाखा शाहपुरा मूर्तहीन हि0 1/2, सुवालाल पुत्र प्रभात राहिन ओ0बी0सी0 शाखा शाहपुरा मूर्तहीन हि0 1/2 जाति अहीर सा0 देह खातेदार के हिस्से में आराजी खसरा नंबर 1270/3 रकबा 0.1357 है0, 1273/3 रकबा 0.0321 है0 कुल किता 2 कुल रकबा 0.1678 है0 भूमि रहेगी।

प्रकरण में तहसीलदार शाहपुरा की ओर से प्रस्तुत कुर्रेजात रिपोर्ट एवं सलंग्न नक्शा ट्रेस एवं प्रकरण में प्रस्तुत राजीनामा इस निर्णय का जुज रहेगा। साथ ही पक्षकारान वादीगण एवं प्रतिवादीगण को हमेशा हमेशा के लिए जरिये स्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाता है कि एक—दूसरे के हिस्से में आई भूमि में किसी भी प्रकार की

उपखण्ड अधिकारी
शाहपुरा, जयपुर (राज.)

मजहामत पैदा नहीं करें, बल्कि शान्तिपूर्वक उनके हिस्से की भूमि की काश्त एवं उपयोग व उपभोग करने देवें। हर्जा खर्चा फरीकेन अपना अपना वहन करें। तदानुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद एवं नक्शा ट्रेस में तरमीम करने के लिए लैण्ड होल्डर तहसीलदार शाहपुरा को तहरीर जारी हो। पर्चा डिक्री जारी हो। पत्रावली फैसल शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय मेरे द्वारा लिखवाया जाकर आज दिनांक 29/12/25 को सरे इजलास सुनाया गया।

(संजीव कुमार खेदड़, आर.ए.एस.)
उपखण्ड अधिकारी, शाहपुरा
जिला जयपुर

कार्यालय उप खण्ड अधिकारी शाहपुरा (जयपुर) राजस्थान